न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–44 / 2018
GCMS NO:- 2018/00072

दायर दिनांकः 21.05.2018
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. नन्दलाल आ. घांसी जाति जाट नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
2. लोकेश आ. चन्दालाल जाति जाट नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
3. आशा पुत्री चन्दालाल नि0 नैनवॉ पत्नी तुलसीराम हाल नि0 पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक।
4. ममता पुत्री चन्दालाल नि0 नैनवॉ पत्नी सुरेश हाल नि0 डूसरी पंचायत झूा तहसील निवाई जिला टोंक।
5. सीमा पुत्री चन्दालाल जाति जाट नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
6. बदाम बाई बेवा चन्दालाल जाति जाट नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार एवं राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी।
2. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
3. बाबूलाल आ0 हरदेव जाति गुर्जर नि0 नैनवॉ वार्ड चुंगीनाका देईपोल नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
4. कैलाशी पत्नी बाबूलाल जाति गुर्जर नि0 नैनवॉ वार्ड चुगीनाका देईपोल नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
5. विनोद आ0 बाबूलाल जाति गुर्जर नि0 नैनवॉ वार्ड चुंगीनाका देईपोल नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम धाकड।
प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि नैनवॉ द्वितीय के खसरा नम्बर 1757 रकबा 4 बिस्व, 1758 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा, 1761 रकबा 15 बिस्वा, 1763 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 1764 रकबा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि का वादीगण खातेदार कृषक है और इसी रूप मे काबिज है।

यह कि नैनवॉ द्वितीय के खसरा नम्बर 2160 व 1759 जो की प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है, मे पूर्व तरफ खसरा नम्बर 2122, 21, 23, 211, 25 के पश्चिमी तरफ यानि 2160, 1759 व 2121 तक भूमियों के बीच मे होकर 148डी नेश्नल हाईवे निकला हुआ है। वादीगण की भूमि के खसरा नम्बर 1758 के उत्तरी तरफ खाल है। दक्षिणी तरफ वादी के खातेदारी की भूमि है। पश्चिमी खाल व खसरा नम्बर 1764 गै0मु0 चाह है। वादी की भूमि के पूर्वी ओर खसरा नम्बर 1759 व 2160 भूमियां है। वादी की भूमि के पूर्वी ओर एक रास्ता वादी की भूमि के जाने का रास्ता निकला हुआ है, जो पूर्वी ओर चलकर 148डी रोड पर मिलता है। इस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से बता रखा है। नेश्नल हाईवे को 148डी के रूप मे नीली स्याही से बता रखा है।

यह कि प्रतिवादीगण के मन मे बदनियती आ गई है, इस कारण प्रतिवादीगण ने 1759 हवाला सरकार पर कब्जा कर एक डोल नेश्नल हाईवे के पश्चिमी तरफ लगा दिया जो खसरा नम्बर 1759 के पूर्व ओर है। इस डोल को परिशिष्ट अ मे नीली स्याही से बता रखा है। इस प्रकार डोल लगाकर वादी का रास्ता अवरूद्ध कर दिया जबकि वादी इसी रास्ते मे होकर से कहीं वर्षो से पीढियों से आवागमन कर रहा है, जिसका वादी को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। वादीगण के खेत मे पहुंचने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। वादीगण का रास्ता घोषित करने मे जितनी भूमि प्रतिवादीगण की आती है एवं राज्य सरकार की आती है, उसका युक्तियुक्त प्रतिकर वादीगण अदा करने को तैयार है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया द्वारा वकालातनामा एवं जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रांक / राजस्व / 2025 / 287 दिनांक 15.07.2025 से प्राप्त हुई।

आज दिनांक 27.08.2025 को हमने वाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि वादीगण जिस भूमि खसरा 1757 रकबा 4 बिस्व, 1758 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा, 1761 रकबा 15 बिस्वा, 1763 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 1764 रकबा 5 बिस्वा पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, उक्त भूमि पर पहुंचने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता खसारा नम्बर 6142 / 2366 डामर सडक (सड़क

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली), खसरा नम्बर 5723/2098 सिवायचक, खसरा नम्बर 2098 खातेदारी, खसरा नम्बर 5878/2097 खातेदारी, खसरा नम्बर 1766 सिवायचक भूमि मे होकर मौके पर जो प्रचलित रास्ता बना हुआ है, पर होकर वर्तमान मे प्रार्थी आता–जाता है। वादी की खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिए प्रचलित रास्ता होने से अन्य रास्ता दिया जाना उचित नही है। अतः तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट मे वादी की खातेदारी भूमि पर जाने के लिए मौके पर प्रचलित रास्ता बना होने से नवीन रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित नही होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी **नैनवॉ**